बुधवार, 05 चैत्र, शक संवत्, 1942

खण्ड–56

(दिनांक : 25 मार्च, 2020)

अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। श्री प्रीतम सिंह मा0 सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रातः 7:00 से 10:00 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने के निर्देश दिये गये हैं जिस कारण उस समय बाजार में अत्याधिक भीड़ हो जा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान राशन की उपलब्धता सुचारू रूप से करने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को जानकारी दी गयी कि लॉकडाउन के प्रथम दिवस पर आवश्यक पूर्ति की दुकानें 24 घण्टे खुले रखने के निर्देश दिये गये थे जिससे लोग काफी संख्या में सड़कों पर रहे। इसी कारण समयावधि घटाकर प्रातः 07:00 से 10:00 बजे तक जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त व्यवस्थाओं को बनाये रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ति करायी जाय। यह भी संज्ञान में आया है कि जिला बिजनौर से राशन नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके लिए वहाँ के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राशन को न रोका जाय। इसके साथ ही विधान सभा के मा0 सदस्यों को भी आने जाने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2020 की बैठक में दिनांक 25 मार्च, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिनांकः 25 मार्च, 2020 (बुधवार)

1. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।
2. असरकारी दिवस के लिए सम्मिलित समस्त प्रस्ताव, संकल्प एवं सूचनाऐं अगले सत्र में लिए जायेंगे।
3. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–

अनुदान संख्या– 05 निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग,

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अनुदान पर मांग,

08 आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग,

18 सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग,

20 सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग,

26 पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग,

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग,

11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग,

27 वन विभाग के अनुदान पर मांग,

13 जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग,

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग,

24 परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग,

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग,

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग,

28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग,

16 श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग,

01 विधान सभा के अनुदान पर मांग, **विवाद नहीं होगा।**

03 मंत्रिपरिषद के अनुदान पर मांग, **–तदैव–**

04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, **–तदैव–**

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग,

09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, **विवाद नहीं होगा।**

10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग,

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग,

14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग,

15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अनुदान पर मांग,

19 ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग,

21 ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग,

22 लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग,

23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग,

25 खाद्य विभाग के अनुदान पर मांग,

4. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सदन सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए (रूपये 77 करोड़ 62 लाख 44 हजार मात्र), अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत (रूपये 100 करोड़ 20 लाख 20 हजार मात्र), अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत (रूपये 294 करोड़ 97 लाख 67 हजार मात्र), अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत (रूपये 55 करोड़ 40 लाख 63 हजार मात्र) अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत (रूपये 1 हजार 534 करोड़ 58 लाख 26 हजार मात्र), अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत (रूपये 9 हजार 905 करोड़ 69 लाख 98 हजार मात्र), अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत (रूपये 33 करोड़ 5 लाख 7 हजार मात्र), अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत (रूपये 22 करोड़ 73 लाख 18 हजार मात्र), अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत (रूपये 2 हजार 174 करोड़ 33 लाख 48 हजार मात्र), अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत (रूपये 9 हजार 149 करोड़ 24 लाख 48 हजार मात्र), अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत (रूपये 2 हजार 477 करोड़ 2 लाख 31 हजार मात्र), अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत (रूपये 2 हजार 960 करोड़ 35 लाख 33 हजार मात्र), अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत (रूपये 101 करोड़ 29 लाख 42 हजार मात्र), अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत (रूपये 2 हजार 14 करोड़ 9 लाख 47 हजार मात्र), अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत (रूपये 390 करोड़ 23 लाख 43 हजार मात्र), अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत (रूपये 1 हजार 48 करोड़ 10 लाख 78 हजार मात्र), अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत (रूपये 170 करोड़ 32 लाख 67 हजार मात्र), अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत (रूपये 2 हजार 313 करोड़ 9 लाख 70 हजार मात्र), अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत (रूपये 1 हजार 279 करोड़ 21 लाख 9 हजार मात्र), अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत (रूपये 366 करोड़ 4 लाख 23 हजार मात्र), अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत (रूपये 2 हजार 46 करोड़ 55 लाख 65 हजार मात्र), अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत (रूपये 442 करोड़ 32 लाख 29 हजार मात्र), अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत (रूपये 592 करोड़ 48 लाख 18 हजार मात्र), अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत (रूपये 234 करोड़ 49 लाख 16 हजार मात्र), अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत (रूपये 285 करोड़ 45 लाख 24 हजार मात्र), अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत (रूपये 1 हजार

120 करोड़ 52 लाख 9 हजार मात्र), अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रूपये (रूपये 414 करोड़ 34 लाख 61 हजार मात्र), अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रूपये (रूपये 392 करोड़ 85 लाख 69 हजार मात्र), अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत (रूपये 1 हजार 370 करोड़ 81 लाख 57 हजार मात्र), अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत (रूपये 498 करोड़ 63 लाख 59 हजार मात्र), उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि (रूपये 43 हजार 866 करोड़ 11 लाख 89 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान, मा0 सदस्य ने कोरोना महामारी में योगदान करने हेतु मा0 सदस्यों के वेतन से प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि दिये जाने का विषय उठाया।

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जैसा मा0 मुख्यमंत्री, मा0 सदस्यों से चर्चा कर निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रथम नवरात्रि है और नव संवत्सर का भी शुभारम्भ है, इसकी मैं सब को बहुत–बहुत शुभकामनायें देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सभी हमारे विधायकगण और प्रिय साथियों सामान्यतः विधान सभा सत्र का समय हम सब के घुलने मिलने एवं प्रदेश के विकास हेतु विचार–विमर्श का समय होता है, परन्तु आज जब सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष एक अतिगम्भीर चुनौती है तब वह शत्रु जो दिखायी भी नहीं देता है तथा सूक्ष्म होते हुए भी जिसने बड़े से बड़े एवं शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्रों को झकझोर दिया है, उसे भारत एवं उत्तराखण्ड परास्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कोरोना वायरस महामारी को रोकने में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन तथा चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए हमारी सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाये हैं।

मेरे तथा सहयोगी मंत्रीगणों आला अधिकारियों द्वारा लगातार उभरती हुयी स्थिति पर निगाह रखी जा रही थी तथा इस महाप्रयास में उत्तराखण्ड भारत के अग्रणी राज्यों में एक है। इन प्रयासों के अन्तर्गत एपिडेमिक डिसीज कन्ट्रोल एक्ट 1897 के प्राविधानों के अन्तर्गत COVID-19 रेगुलेशन राज्य में लागू किया

गया तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस क्रम में मंत्रिमण्डल की दो आपात बैठकें केवल इसी चुनौती से निबटने हेतु की जा चुकी है। राज्य में संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए भारत नेपाल सीमा की समस्त चौकियों में जनपद चम्पावत के बनबसा व टनकपुर में, जनपद पिथौरागढ़ के धारचुला, बलुआकोट, जौलजीवी, झूलाघाट व ड्यूरा में तथा जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आतिथि उक्त जगहों पर 55109 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है जिसमें कोई भी कोरोना संक्रमण संदिग्ध नहीं मिला है। प्रत्येक स्क्रीनिंग प्वाइंट पर मेडिकल टीम, एम्बूलैंस, इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। राज्य में एयरपोर्ट आथोरिटी से समन्वय करते हुए देहरादून, पन्तनगर व पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य की टीम द्वारा यात्री स्क्रीनिंग (50016) की जा चुकी है जिसमें कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। वर्तमान में घरेलू उड़ानें भी पूर्णतः बन्द कर दी गयी है। 31 दिसम्बर के बाद से चीन व अन्य प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की सूची समय–समय पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जा रही है, वर्तमान तक 2082 लोगों की सूची प्राप्त की गई है व इन सभी की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उक्त सूची में से 628 लोग 28 दिन की निगरानी अवधि पूर्ण है, 131 लोग राज्य से बाहर जा चुके है एवं अतिथि 1323 लोग निगरानी अवधि जिसमें 1244 घर में व 79 चिकित्सालय में हैं। चूंकि इस विषाणू के आने का प्रमुख मार्ग राज्य में नये व्यक्तियों का आवगमन ही है। अतः सम्पूर्ण भारत में पहल करते हुए हमारे द्वारा राज्य में आने वाले सभी घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का दिनांक 20–03–2020 से अग्रिम आदेशों तक प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। भीड़ को रोकने हेतु सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हाल, मॉल आदि 31 मार्च 2020 तक बन्द किये जा चुके थे तथा कल प्राप्त भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में यह अवधि बढ़ा दी गयी है। भारत उत्तराखण्ड द्वारा 31 मार्च, 2020 तक लॉक डाउन घोषित किया गया था जो कि एक अग्रणी पहल थी, एवं भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में यह अवधि भी बढ़ा दी गयी है। जनपदों के द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज में वर्क फार्म होम के आदेश जारी किये जा चुके हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार हेतु राज्य कैबिनेट द्वारा रूपये 50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी रूपये 10 करोड की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई गई है। राज्य एवं जनपद स्तर पर रेपिड रेस्पॉन्स टीम आर0आर0टी0 का गठन किया गया है तथा विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर ए0एन0एम0 व आशा कार्यकत्री, ग्राम प्रधान व ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से जन जागरूकता व प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। लॉक डॉउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं एवं सामग्री की आपूर्ती सुनिश्चित की जा रही है तथा निम्न आयवर्ग को दिक्कत न हो इसीलिए सरकार द्वारा ई0एस0आई0 में पंजीकृत श्रमिकों को रूपये 1000 प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जो पंजीकृत नहीं हैं उनको मूलभूत खाद्य सामग्री

उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से रूपये 30 करोड़ की धनराशि निगृत की गयी है, इसमें मैं बता दूॅ कि जिसमें हमारे चार मैदानी जनपद हैं उनको तीन–तीन करोड़ रूपये और शेष नौ जनपदों को दो–दो करोड़ रुपये उपल्बध किया गया है और उनको निर्गत भी कर लिया गया है। यह सब प्रयास इस लिए की जा रहें हैं कि इस लॉकडाउन अवधि में कोई भी गरीब परिवार खाद्यान से वंचित न रहें। इन प्रयासों में पुलिस विभाग एवं एस0डी0आर0एफ0 का सहयोग लिया जा रहा है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। सभी सम्भावित कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है। प्रभावी समन्वय, त्वरित कार्यवाही, जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गयी है। सभी संचार माध्यमों के द्वारा कोविड–19 कें संक्रमण से बचने हेतु सलाह जारी की जा चुकी है तथा निरन्तर सलाह प्रसारित की जा रही है। इसी प्रयोजन हेतु समर्पित टोल फ्री हैल्पलाईन नम्बर 104 अथवा दूरभाष नम्बर 0135–2609500 है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर द्वारा हैल्पलाईन के माध्यम से भी इन लोगों से भी दूरभाष द्वारा सम्पर्क साध कर दैनिक स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। इसके साथ–साथ समस्त जनपदों में आइसोलेश्न फैसिलिटी व संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था की गई है। समस्त प्रमुख चिकित्सालयों व मेडिकल कालेज संस्थानों में पृथक से आईसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है व वर्तमान में 933 आईसोलेशन बेड विभिन्न चिकित्सालयों में कोरोना वायरस हेतु आरक्षित है। इसके साथ–साथ समस्त जनपदों में संस्थागत क्वारेटाइन हेतु 1384 बेड की व्यवस्था की गई है। दून मेडिकल कॉलेज में फ्ल्यू ओ0पी0डी0 तथा कोविड–19 का द्वितीय और तृतीय सेवाओं के लिए समर्पित किया गया है। राजकीय दून मेडिकल कालेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्दानी मेडिकल कॉलेज तथा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मुख्य रूप से कोरोना उपचार के लिए आरक्षित रखा जाने का प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कॉलेजों में प्रोक्योरमेन्ट, मानव संसाधन, विभागीय समन्वयन, लोजिस्टिक, कानून व्यवस्था आदि कार्यों के संचालन हेतु वरिष्ट अधिकारियों की तैनाती की जा रही है जिससे उक्त कॉलेजों का समस्त चिकित्सक व अन्य कार्मिक पूर्ण रूप से कोरोना कोविड–19 के मरीजों के उपचार हेतु कार्य कर सके। राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल एवं निजी मेडिकल कॉलेज जिनकी बैड क्षमता 100 या 100 से अधिक हैं, उनके यहॉ 25 प्रतिशत बैड संख्या को कोरोना वाइरस से संक्रमित/संदिग्ध रोगियों के ईलाज/भर्ती के लिए आरक्षित किया गया है। मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मेडिकल चयन बोर्ड द्वारा पूर्व विज्ञापन के 314 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त 562 नये पदों पर भर्ती करने के आदेश किये गये हैं। श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष को आगामी 03 माह के लिए इन्टरव्यू द्वारा संविदा पर पदों के सापेक्ष डाक्टरों की भर्ती किये जाने के अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी भी चिकित्सालयों हेतु अपने स्तर से भी भर्ती कर सकते हैं। इस सम्बन्ध का प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। नर्सों की कमी को देखते हुए विभागाध्यक्षों

को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की नियुक्ति के अधिकार भी प्रदत्त किये गये हैं। आकस्मिकता के दृष्टिगत् चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपकरणों की आपूर्ति हेतु एच0एल0एल0 लाईफ केयर लिमिटेड को भी इम्पेनल किया गया है, जोकि भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। कोविड–19 के टेस्ट के लिए हल्द्वानी मेडिकल कालेज के अतिरिक्त दो अन्य सेंटरों ए0आई0आई0एम0एस0 ऋषिकेश तथा इण्डियन इन्स्ट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की अनुमति आई0सी0एम0आर0 से प्राप्त हो गयी है। मास्क व सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। अतः इनकी कालाबाजारी की रोकथाम हेतु छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 04 कोविड–19 रोगियों की पुष्टि हुई है तथा कन्टैक्ट टेसिंग के माध्यम से इनके सम्पर्कों पर आने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य में 2082 व्यक्तियों की पहचान की गई है जोकि चीन तथा अन्य कोविड–19 प्रभावित देशों से यात्रा करके आये हैं जिनको 28 दिनों के लिए निगरानी में रखा गया है। इनमें से 628 व्यक्ति 28 दिनों की निगरानी अवधि पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में 1323 व्यक्ति 28 दिन की निगरानी में हैं। राज्य में अब तक 237 सैम्पल लिये गये हैं, जिनमें से 162 सैम्पल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है इनमें से 158 सैम्पल निगेटिव पाये गये हैं और 04 केस पॉजिटिव पाये गये हैं। आतिथि तक 75 सैम्पल की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है जिनकी जनपद स्तर द्वारा स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। इस घड़ी में यह परम आवश्यक है कि हम सब अपने उन सहयोगियों को जो कि इस युद्ध में प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हुए, उन्हें सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करें। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले भाई–बहनों से लेकर, सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति में लगे कर्मियों, पुलिस कर्मी तथा विशेषकर वह चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ जो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए भी इस कार्य में निरन्तर लगे हैं, को मैं विशेष साधूवाद देना चाहूंगा तथा यह अनुरोध भी करूंगा कि वे अपनी सुरक्षा में कोई कोताही न बरतें। सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयासों में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, जबकि इसमें सम्पूर्ण जन–सहभागिता सुनिश्चित की जाये। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किये गये आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, मेरी आप सभी सम्मानित भाई–बहिनों चाहे वे पक्ष में हो या विपक्ष में हों, से अपील करता हूँ कि जन–प्रतिनिधियों के रूप में हम सभी प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू किये गये 21 दिनों के इस महायज्ञ में संयम एवं संकल्प की आहुति दें एवं अपने सभी नागरिकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें तथा अफवाहों से बचें एवं बचायें। साथ ही सभी भारत से बाहर प्रवास कर रहे उत्तराखण्ड के नागरिकों से यह अपील है कि वे भी अनावश्यक यात्रा से बचें, जिससे कि वे और उनका परिवार सुरक्षित रहे। साथियो समाजिक दूरी की इसी रणनीति का पालन करके ही हम इस विपदा पर विजय पायेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखण्ड एवं भारत के सभी लोग, इस कठिन अग्नि परिक्षा में कुंदन की तरह तपकर सफल होंगे। हमारे जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको हमने कोरोना ''कोविड–19 के वॉरियर्स'' के रूप में, मैं उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। जो हमारे मीडियाकर्मी हैं, हमारे स्वच्छताकर्मी हैं, जिनको हम पर्यावरण मित्र भी कहते हैं, हमारे

पुलिसकर्मी भी हैं, इसके अतिरिक्त तमाम जो भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं उन सभी के जीवन बीमा की भी यहां पर घोषणा करता हूॅ, उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूॅ। अन्त में, मैं सभी के सुःख की कामना करते हुए– ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः'' की कामना करते हुए, अपने वक्तब्य को समाप्त करता हूॅ।

मा0 नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि जैसे कि हम लोगों से अपेक्षा की गई थी, विपक्ष द्वारा सदन को चलाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रदेश में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे मा0 सदस्यगणों के फोन उठाया करें। इसके साथ ही कतिपय अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किये जाने की जानकारी भी मिली है। अतः उनको भी निर्देशित किया जाय कि मा0 प्रतिनिधियों से मर्यादित व्यवहार किया जाय।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर में मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गये सवाल के सम्बन्ध में कहा कि वह उनसे पूर्ण सहमत हैं तथा आज के दैनिक समाचार पत्रों में अधिकारियों के नम्बर प्रकाशित किये गये हैं। जिनसे फोन पर समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य उनको भी फोन पर अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में करोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न खतरा विश्व युद्ध से भी खतरनाक है। आज पूरा विश्व संकट के गंभीर दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी से बचने का उपाय विज्ञान नहीं सुझा सका है, ना ही वैक्सीन ही बन सकी है। ऐसे में चिन्ता स्वाभाविक है।

देश में अब तक कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या लगभग 550 हो गयी है। कुल संक्रमित लोगों में लगभग 476 भारतीय नागरिक और लगभग 43 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 40 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादा रहा है, वहां एक बात सामने आई है, वह यह है कि शुरूआती दिनों के बाद अचानक बीमारी का विस्फोट हुआ है। पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तखलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। डब्ल्यूएच0ओ0 के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तखलीफ इसके लक्षण हैं।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश के नाम दूसरे संदेश में एक महत्वपूर्ण विषय हम सबके सामने रखा है। कल रात के 12 बजे के बाद पूरे देश में 21 दिन तक संम्पूर्ण लॉकडाउन किया गया है,

इसका मतलब यह है कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए हर, परिवार के लिए, हर घर के लिए, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जिसका उल्लंघन नहीं होना है। जो जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में है, उसको वहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना है। राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी जिस प्रकार कोरोना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है उस दृष्टि से इसको हराने का यह एक ही तरीका है। 21 दिन यदि हम सोशल डिस्टेसिंग यानि अलग रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, भीड़–भाड़ में नहीं जायेंगे तो इंफेक्शन के इस चेन को रोका जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और कोरोना के खिलाफ जीता जा सकता है।

उत्तराखण्ड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आहवान पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए पहले ही 31 मार्च तक लॉकडाउन का आहवान किया जा चुका है। सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी जारी है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया भी है। जिसके लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद भी करता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य में अभी केवल चार मामले ही कोरोना से संक्रमित लोगों के सामने आए हुए हैं। इस संक्रमण को और अधिक ना बढ़ने दिया जाय, जिसके लिए सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों की तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने के लिए भारत को अपनी आक्रामक कार्यवाही जारी रखनी चाहिए।

21 दिन तक लॉकडाउन, यह अपने आप में अभूतपूर्व कदम है, लोगों को तकलीफ होगी मगर इस विश्वव्यापी कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। हमको इसको पूरी शक्ति के साथ क्रियान्वयन करना है पालन करना और कराना है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य और केन्द्र, राज्य सरकार के दिशा–निर्देश का पालन करने के साथ ही अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र में रह कर क्षेत्रीय जनता को इस महामारी से बचने के लिए प्रेरित करें। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं के साथ दूसरे लोगों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे।

अन्त में नवसंवत्सर व नवरात्रि की बधाई। मॉ जगदम्बे सभी का मंगल करें।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

मा0 अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वे इस अवसर पर कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के बीच विधान सभा के उपवेशन के आयोजन के लिए माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीगण तथा माननीय सदस्यों को साधुवाद देते हैं, इस उपवेशन के आयोजन की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए मैं विधान सभा सचिवालय, राज्य सचिवालय, शासन, प्रशासन, पुलिस बल के समस्त

अधिकाकारीगण/कर्मचारीगण को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संवैधानिक एवं वित्तीय बाध्यताओं की पूर्ति हेतु इस सभा का सहयोग किया। कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ाई में फ्रन्ट लाईन में लड़ रहे प्रदेश के समस्त डॉक्टर, नर्स, पैरामैडिकल, कैमिस्ट तथा अन्य संबद्ध कार्मिकों एवं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूॅ कि जो अपनी परवाह किए बगैर हम सभी को सुरक्षित रखने का महान कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं विधान सभा तथा सचिवालय के सफाई कर्मियों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समस्त सफाई कर्मियों को धन्यवाद देता हूॅ कि प्रदेश में इस संक्रमण को रोकने में अहम सफाई व्यवस्था की, मैं प्रशासन को भी अनुरोध करता हूॅ कि विधान सभा सचिवालय के कार्मिकों को यथाआवश्यक दायित्वों के निर्वहन हेतु दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कार्यालय आवागमन हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन की कार्यवाही 11 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।